भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3031
22 मार्च, 2022 को उत्तर देने के लिए

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

3031. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
डॉ उमेश जी. जाधव:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री बी. वाई राघवेन्द्र:
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री एस. मुनिस्वामी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा छोटे किसानों को लाभान्वित करने के लिए मिनी फूड पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या प्रस्ताव कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): जी, हाँ।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" कार्यान्वित कर रहा है। मौजूदा यूनिटों को अपग्रेड करने अथवा व्यक्तियों के लिए नई सूक्ष्म यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता क्रेडिट लिंक्ड सहायता अनुदान के माध्यम से 35% की दर से अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक प्रदान की जाती है। यह योजना एसएचजी/एफपीओ/सहकारिता की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड सहायता अनुदान, एसएचजी को प्रारंभिक पूंजी, इनक्यूबेशन केंद्र, सामान्य अवसंरचना, विपणन और ब्रांडिंग तथा क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है।

यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाती है। योजना के लिए ओडीओपी मूल्य श्रृंखला विकास और समर्थन अवसंरचना के संरेखण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

कर्नाटक सहित व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को अब तक पीएमएफएमई योजना के तहत संस्वीकृत ऋण की राशि का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ग) और (घ): एमओएफपीआई स्वयं मिनी फूड पार्क स्थापित नहीं करता है। तथापि, मंत्रालय देश में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर समूहों (एपीसी) के लिए अवसंरचना के निर्माण की योजना कार्यान्वित कर रहा है। अब तक, मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य में योजना के तहत निम्नलिखित 4 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाओं को अनुमोदित किया है:

क्र.सं.	परियोजना निष्पादन एजेंसी (पीईए) का नाम	जिला	परियोजना की लागत (करोड़ रुपये में)	अनुमोदित अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	मेसर्स हिरियूर फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	चित्रदुर्ग	22.60	4.27
2	मेसर्स जेम फूड पार्क एलएलपी	देवनागेरे	40.01	9.77
3	मैसर्स एग्रो क्लस्टर	विजयपुरा/बीजापुर	21.57	10.00
4	मेसर्स उडुपी फूड पार्क	उडुपी	16.08	5.23

अनुबंध-1

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के बारे में दिनांक 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3031 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को अब तक संस्वीकृत ऋण राशि का विवरण

राज्य	लाभार्थियों की संख्या	बैक द्वारा संस्वीकृत सावधि ऋण (रुपए में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	1,25,14,483
आंध्र प्रदेश	281	23,92,22,214
असम	25	1,76,61,197
बिहार	13	2,52,56,685
चंडीगढ़	4	46,68,000
छत्तीसगढ	15	1,29,00,743
दिल्ली	18	61,29,490
गोवा	2	47,41,200
गुजरात	5	71,85,683
हरियाणा	84	13,37,31,252
हिमाचल प्रदेश	152	9,89,23,690
जम्मू और कश्मीर	41	4,59,11,493
कर्नाटक	206	28,58,16,222
केरल	55	5,39,65,462
लद्दाख	2	5,00,509
मध्य प्रदेश	233	30,99,25,932
महाराष्ट्र	349	49,95,53,603
मणिपुर	123	28,84,16,238
मेघालय	2	6,89,756
ओडिशा	135	6,76,10,260
पुदुच्चेरी	1	3,15,000
पंजाब	122	23,43,61,287
राजस्थान	96	14,15,82,438
सिक्किम	2	17,19,000
तमिलनाडु	159	15,31,36,422
तेलंगाना	149	3,89,25,376
त्रिपुरा	9	70,84,669
उत्तर प्रदेश	172	20,52,18,171
उत्तराखंड	10	1,23,96,217
कुल योग	**2471**	**2,91,00,62,690**